



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238248
CG-DL-E-22082022-238248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3756]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944

No. 3756]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

सं. 102/2022

का.आ. 3930(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (I) के साथ पठित काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के संबंधित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करती है।

[फा. सं. 285/13/2022-आईटी (अन्वेषण-V)/सी.बी.डी.टी.]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सी.बी.डी.टी.

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(INVESTIGATION DIVISION-V)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2022

No. 102/2022

S.O. 3930(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby designates all the Chief Judicial Magistrate Courts of the State of Chhattisgarh as Special Courts for the purposes of section 280A of the Income-tax Act, 1961 and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, for the areas falling within the respective territorial jurisdictions of the Chief Judicial Magistrate Courts in the State of Chhattisgarh.

[F. No. 285/13/2022-IT(Inv.V)/CBDT]

DEEPAK TIWARI, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.), CBDT